Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 195-2019/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2019

(29 कार्तिक, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का0आ0 80/के0अ0 6/1974/धा0 64/2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019— हरियाणा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) संशोधन नियम, 2019.	831—834
	2. अधिसूचना संख्या का0आ0 81/के0अ0 14/1981/धा0 54/2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019— हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) संशोधन नियम, 2019. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	835—836
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग –III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 नवम्बर, 2019

संख्या का०आ० 80/के०अ० 6/1974/धा० 64/2019.– जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से परामर्श के बाद, इसके द्वारा, हरियाणा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) संशोधन नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1978 (जिसे, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ख) "राज्य बोर्ड" से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड;"।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''4. अध्यक्ष की योग्यताएं तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें–धारा 5 (9).– कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नामांकित किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह,–

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण से सम्बन्धित विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या पर्यावरण से सम्बन्धित किसी शिक्षण में इंजीनियरिंग डिग्री नहीं रखता हो तथा औद्योगिक प्रदूषण अल्पीकरण या अपशिष्ट जल उपचार या वायु प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्रों सहित पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित विशेष ज्ञान तथा पन्द्रह वर्ष का अनुभव नहीं रखता हो तथा पच्चीस वर्ष की सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा नहीं की हो; या

(ख) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की सेवा में प्रधान सचिव रैंक तथा समकक्ष का अखिल भारतीय सेवा का सदस्य नहीं है या नहीं रहा है, तथा पर्यावरण से सम्बन्धित मामलों का निपटान करने वाली सस्थाओं में प्रशासनिक अनुभव नहीं रखता हो; या

(ग) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सेवा में नहीं है या नहीं रहा है तथा अध्यक्ष के रूप में नामांकन के लिए खण्ड (क) में यथा विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव नहीं रखता हो ।

(2) (क) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार की सेवा में कोई सेवारत अधिकारी है तथा निरन्तर बना रहता है, हरियाणा सरकार के अधीन यथा अनुज्ञेय अपने स्वयं के वेतनमान में वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेगा;

(ख) अध्यक्ष के रूप में नामांकित कोई व्यक्ति, जो सेवारत/सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी नहीं है, हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव के वेतनमान में वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा;

(ग) सरकारी सेवा में अध्यक्ष के रूप में नामांकित कोई सेवानिवृत व्यक्ति, हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव को यथा अनुज्ञेय अन्य भत्तों सहित अन्तिम प्राप्त वेतन में से पेंशन घटाते हुए के समकक्ष वेतन प्राप्त करेगा ।

(3) अधिनियम की धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट अयोग्यताओं के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति,–

(i) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या संविदा कर ली है;

या

(ii) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है या संविदा कर ली है,–

अध्यक्ष के रूप में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

(4) अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उस तिथि, जिसको वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करता है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु का होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ।''

4. उक्त नियमों में, नियम 4–क का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''16. सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं, वेतन, भत्ते तथा पदावधि (1).– सरकार, केन्द्रीय या राज्य सरकार में अखिल भारतीय सेवा में सेवारत किसी अधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या किसी

विश्वविद्यालय या सरकारी अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त या वैधानिक निकाय से किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकती है जो–

(i) केन्द्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क के वेतनमान या राज्य सरकार में उसके समकक्ष वेतनमान में मूल संवर्ग या विभाग में, या केन्द्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 के वेतनमान में या राज्य सरकार में या मूल संवर्ग या विभाग में उसके समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर उस पर नियक्ति करने के बाद दिए गए ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित या केन्द्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 के वेतनमान में या राज्य सरकार में या मूल संवर्ग या विभाग में उसके समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति करने के बाद दिए गए ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित नियमित आधार पर पद धारण करता है; तथा

(ii) पर्यावरण के सम्बन्ध में ज्ञान तथा अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या इंजीनियरिंग में डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री रखता हो ।

(2) सदस्य सचिव, हरियाणा सरकार के नियमों के अधीन अनुज्ञेय अपने स्वयं के वेतनमान में वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) सदस्य सचिव, राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर होगा।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 23 में,–

(i) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(1.) अपील प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या तो किसी एकल व्यक्ति या तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा,–

(अ) (i) एकल व्यक्ति प्राधिकरण की दशा में, अपील प्राधिकरण या तो सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश; या प्रशासकीय सचिव, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार में अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या रहा है, जो प्रधान सचिव या उसके समकक्ष पदवी का हो तथा पर्यावरण से सम्बन्धित मामलों का निपटान करने वाली संस्थाओं में प्रशासनिक अनुभव रखता हो से मिलकर बनेगा,

(ii) तीन सदस्यों की दशा में अपील प्राधिकरण उपरोक्त (i) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, जिसे अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया जाएगा, तथा सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रवर्गों में से नियुक्त सदस्य के रूप में किन्ही दो व्यक्तियों से मिलकर बनेगा,–

(क) ग्रुप–क सेवा की हैसियत के समकक्ष पर्यावरणीय प्रबन्धन के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष का अनुभव रखने वाला वैज्ञानिक;

(ख) किसी विख्यात विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग से व्यावसायिक/विशेषज्ञ, जो कम से कम प्रोफेसर के रैंक का हो;

(ग) अखिल भारतीय सेवा अधिकारी के स्तर का सचिव/ निदेशक ;

(घ) सेवारत/सेवानिवृत्त इंजीनियर, जो अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से नीचे का न हो;

(ड.) अभियोजन विभाग, हरियाणा से सेवारत/सेवानिवृत्त अपर निदेशक ;

(च) सेवानिवृत जिला/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

(छ) वन या सिंचाई विभाग, का प्रशासकीय सचिव/सचिव ।

यदि अध्यक्ष कोई गैर–न्यायिक व्यक्ति है, तो दो सदस्यों में से एक सदस्य न्यायिक/अभियोजन क्षेत्र से होगा।

(आ) प्राधिकरण के अध्यक्ष को सरकार द्वारा प्रति मास एक लाख रुपये तथा सदस्य को प्रति मास पचास हजार रूपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा और सरकार ऐसी दर पर यात्रा भत्ते का भी भुगतान करेगी जो सरकार के ग्रेड–I अधिकारी को यथा अनुज्ञेय है।

(इ) अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी ।

(ई) अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा/या सदस्य सड़सठ वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करेगा / करेंगे ।

(ii) उप–नियम (5) तथा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थपित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(5) अधिनियम की धारा 28 के अधीन अपील दायर करने के लिए भुगतान योग्य फीस समय–समय पर सरकार द्वारा, यथा विनिश्चित होगी। यह फीस अपील दायर करने से पूर्व हरियाणा सरकार के पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग में जमा करवाई जाएगी।

(6) अपील प्राधिकरण का मुख्यालय, सरकार द्वारा यथा विनिश्चित या तो पंचकूला या चण्डीगढ़ में होगा। सरकार, अपील प्राधिकरण के बैठने, आयोजन तथा कार्य तथा अन्य सचिवीय सेवाओं का प्रबन्ध भी करेगी ।"

धीरा खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

Notification

The 20th November, 2019

No. S.O. 80/C.A. 6/1974/S. 64/2019.— In exercise of the powers conferred by section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974), the Governor of Haryana after consulting the Haryana State Pollution Control Board, hereby makes the following rules further to amend the Haryana (Prevention and Control of Water Pollution) Rules, 1978, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana (Prevention and Control of Water Pollution) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana (Prevention and Control of Water Pollution) Rules, 1978 (hereinafter called the said rules), in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) "State Board" means the Haryana State Pollution Control Board constituted under section 4;"

3. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

"4. Qualifications and other terms and conditions of service of Chairman, section 5(9). – (1) A person, shall not be eligible to be nominated as Chairman, under clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Act, unless,-

(a) he possesses Post Graduation degree in Science relating to environment or Degree in Engineering, in a discipline relating to environment from recognized university or institute and has special knowledge and fifteen years of experience relating to environment protection, including industrial pollution mitigation or waste water treatment or air pollution control devices and has rendered twenty-five years of Government/Semi-Government service; or

(b) is or has been a member of All India Services in the service of Central or any State Government of the rank and equivalence of Principal Secretary and has experience in administering institutions dealing with matters related to the environment; or

(c) is or has been in the service of State Public Sector Undertaking and possess the qualifications and experience for nomination as Chairman under clause (a) above.

(2) (a) The Chairman who is serving officer and continues to remain in the service of the State Government shall receive the pay and other allowances in his own pay scale as admissible, under Haryana Government;

(b) A person, who is not a serving/retired Government servant, nominated as Chairman, shall receive pay and other allowances in the pay scale of Principal Secretary in Haryana Government;

(c) Any retired person from Government service nominated as Chairman shall receive a pay equivalent to last drawn minus pension along with other allowances as admissible to the Principal Secretary to Government, Haryana.

(3) In addition to disqualification as specified in section 6 of the Act, no person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for nomination to the said post;

Provided that the Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(4) The Chairman, Haryana State Pollution Control Board shall hold office for a term of three years from the date on which he assumes charge or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier."

4. In the said rules, rule 4-A shall be omitted.

5. In the said rules, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-

"16. Educational and other qualifications for appointment, pay, allowances and tenure as Member Secretary.-(1) The Government may appoint any serving officer from All India Services or in any services of the Central or State Government or Public Sector Undertaking or university or Government Research Institute or Autonomous or Statutory Body, on deputation, who is-

(i) holding a post on regular basis in the parent cadre or department in the pay scale of Level 13A in pay matrix of the Central Government or its equivalent in the State Government; or with two years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level of 13 in

the pay matrix of the Central Government or its equivalent in the State Government or equivalent in the parent cadre or department, or six years of service in the grade rendered after appointment thereto, on regular basis in the pay level of 12 in the pay matrix of the Central Government or equivalent in the cadre or department; and

(ii) possessing Post Graduation degree in Science or degree in Engineering from a recognized institute or university or its equivalent with knowledge and experience relating to environment.

(2) The Member Secretary shall be entitled to draw pay in his own pay-scale and other allowances admissible under the Haryana Government rules.

(3) The Member Secretary shall be on deputation as per State Government instructions.

(6) In the said rules, in rule 23,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The Appellate Authority shall consist of either a single person or three persons appointed by the State Government,-

(A) (i) in case of single person authority, the Appellate Authority shall consist of, either retired District and Session Judge or Administrative Secretary of Environment and Climate Change Department or a member of All India Services who is or has been in the service of Central or any State Government of the rank and equivalence of Principal Secretary and has experience in administering instructions dealing with matters related to the environment; or

(ii) in case of three persons, the Appellate Authority shall consist of one of the persons, indicated at (i) above, who shall be designated as President of the Appellate Authority; and any two persons from the following category shall be appointed by the Government as Members,-

(a) Scientist having experience of fifteen years in the field of Environment Management equivalent to the status of group A services;

(b) Professional/Expert at least in the rank of Professor from the Department of Environment of a reputed university;

(c) Secretary/Director level of All India Services officer;

(d) Serving/Retired Engineer of not below the level of Superintending Engineer;

(e) Serving/retired Additional Director from Prosecution Department, Haryana;

(f) Retired District/Additional District and Session Judge;

(g) Administrative Secretary/Secretary of Forest or Irrigation Department.

In case, the President is a non-judicial person, in that case one of the two members shall be from judicial/prosecution side.

(B) The President of the authority shall be paid with an honorarium of one lakh rupees per month and members shall be paid fifty thousand rupees per month by the Government and the Government shall pay the travelling allowances of the Appellate Authority, at such rates as are admissible to Grade I officer of the Government.

(C) The term for President and Members of the Appellate Authority shall be for a period of two years.

(D) The President and/or members of the Appellate Authority may hold office till sixty-seven years of age.

(ii) for sub-rules (5) and (6), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(5) The fee payable for filing an appeal under section 28 of the Act shall be as decided by the Government from time to time. This fee shall be deposited with the Environment and Climate Change Department of the Government of Haryana before filing the appeal.

(6) The Head Quarter of the Appellate Authority shall be either Panchkula or Chandigarh, as decided by the Government. The Government shall also make the arrangements of the sitting, conducting and functioning of the Appellate Authority and other secretarial services.".

DHEERA KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment and Climate Change Department.

57491—L.R.—H.G.P., Chd.